कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या पी- 1359/ 36-बी-15(जी) / बजट(2017-18), लखनऊःदिनांकःमई,19 ,2017.

सेवा में,

1- मुख्य वन संरक्षक,
वन्य जीव पूर्वी गोण्डा।

2- वन संरक्षक,
अलीगढ वृत्त अलीगढ।

विषयः-वित्तीय वर्ष 2017-18 में जिला सेक्टर की भवन निर्माण योजनान्तर्गत लेखानुदान द्वारा प्रथम पॉच माह (अप्रैल, 2017 से अगस्त, 2017 तक) के लिए प्राविधानित धनराशि रू0 2.08 लाख का योजनावार, जनपदवार, प्रभागवार एवं लेखा शीर्षकानुसार आवंटन।

सन्दर्भः-शासनादेश संख्या-763/14-4-2017-15(बजट) / 2017, दिनांक 18-05-2017.

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2017-18 में जिला सेक्टर की भवन निर्माण योजनान्तर्गत लेखानुदान द्वारा प्रथम पॉच माह (अप्रैल, 2017 से अगस्त, 2017 तक) के लिए प्राविधानित धनराशि रू0 2.08 लाख का योजनावार, जनपदवार, प्रभागवार एवं लेखा शीर्षकानुसार उपरोक्त शासनादेश द्वारा बजट की स्वीकृति जारी की गयी है। उक्त सन्दर्भित शासनादेश की आपकी तथा आपके वृत्त से सम्बन्धित प्रभाग तथा सम्बन्धित जिलाधिकारी, सम्बन्धित अर्थ एवं संख्याधिकारी की प्रतियां संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। कृपया अपने स्तर से उक्त शासनादेश की प्रति अपने वृत्त से सम्बन्धित प्रभाग तथा सम्बन्धित जिलाधिकारी, सम्बन्धित अर्थ एवं संख्याधिकारी को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें। शासनादेश में दिये गये निर्देशों / प्रतिबन्धों का कडाई से पालन किया जाय। शासन द्वारा अवमुक्त बजट के सापेक्ष साख सीमा तत्काल वित्त नियन्त्रक, कार्यालय- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ से जारी कराकर निर्धारित कार्यो को पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः-उपरोक्तानुसार

भवदीय

(ए0के0 द्विवेदी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
प्रभारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
योजना एवं कृषि वानिकी
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

19/5/2017

\\Haroon-pc\d\DATAAA\RAMJI\Budget Doc Copy To Cfs-17-18.doc

संख्या पी-1359 (1)/36-बी-15(जी)/बजट(2017-18), दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्न लिखित को मय संलग्नक सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- अपर मुख्य सचिव, वन एवं वन्य जीव विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ।
5- मुख्य वन संरक्षक, आगरा जोन, आगरा।

संलग्नकः-उपरोक्तानुसार।

(ए0के0 द्विवेदी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
प्रभारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
योजना एवं कृषि वानिकी
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
18/5/2017

संख्या पी-1359 (2)/36-बी-15(जी)/बजट (17-18),दिनांकित।

प्रतिलिपि अपर प्रमुख वन संरक्षक, आई0टी0 सेल, उ0प्र0 लखनऊ को संलग्नक सहित विभाग की वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

संलग्नकः- उपरोक्तानुसार।

(ए0के0 द्विवेदी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
प्रभारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
योजना एवं कृषि वानिकी
उत्तर प्रदेश, लखनऊ
18/5/2017

संख्या पी-1359 (3)/36-बी-15(जी)/बजट (17-18),दिनांकित।

प्रतिलिपि सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी / प्रभागीय निदेशक, हाथरस तथा सोहेलवा वन्यजीव प्रभाग को इस आशय से प्रेषित कि कृपया संदर्भित शासनादेश की प्रति अपने मुख्य वन संरक्षक / वन संरक्षक के स्तर से प्राप्त कर शासनादेश में निहित निर्देशों / प्रतिबन्धों के अनुसार व्यय करना सुनिश्चित करें।

(ए0के0 द्विवेदी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
प्रभारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
योजना एवं कृषि वानिकी
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
18/5/2017

\\Haroon-pc\d\DATAAA\RAMJI\Budget Doc Copy To Cfs-17-18.doc

(3)

संख्या-763/14-4-2017-15(बजट)/2017

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1- प्रभागीय वनाधिकारी,
हाथरस वन प्रभाग, हाथरस,
उत्तर प्रदेश।

2- प्रभागीय वनाधिकारी,
सोहेलवा वन्य जीव प्रभाग, बलरामपुर,
उत्तर प्रदेश।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-4 लखनऊ:दिनॉक: 18 मई, 2017

विषय- वित्तीय वर्ष 2017-18 में जिला सेक्टर की योजना-भवन निर्माण योजनान्तर्गत लेखानुदान द्वारा प्रथम पॉच माह (माह अप्रेल, 2017 से अगस्त 2017 तक) के लिए व्यय हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 2.08 लाख का योजनावार/जनपदवार/प्रभागवार एवं लेखा शीर्षकानुसार आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0-पी-1259/36-बी-15(जी)/बजट(2017-18) दिनांक 28.04.2017 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017 दिनांक 02 जनवरी, 2017 एवं संख्या-3/2017/बी-1-348/दस-2017-231/2017 दिनांक 20 मार्च, 2017 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय वर्ष 2017-18 के लिए अनुदान संख्या-60 के जिला सेक्टर की योजना - भवन निर्माण हेतु लेखानुदान द्वारा प्रथम पांच माह (माह अप्रैल, 2017 से अगस्त 2017 तक) के व्यय हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 208000/- के सापेक्ष रू0 208000/- (रू0 दो लाख आठ हजार मात्र) की धनराशि (संलग्न विवरण/जनपदवार/प्रभागवार फॉट के अनुसार) की वित्तीय स्वीकृति वर्ष 2016-17 हेतु नियोजन विभाग के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या-9/1/35-आ-2/2015-12, दिनांक 29.11.2016 से स्वीकृत परिव्यय को वर्ष 2017-18 का अनन्तिम परिव्यय मानते हुये वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 02-01-2017 एवं दिनांक 20.03.2017 में निहित निदेशों एवं निम्न शर्तो एवं प्रतिबंधो के अधीन आपके निर्वतन रखे जाने की निम्न प्रकार सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रू0 हजार में)

योजना का नाम	अनन्तिम परिव्यय (सामान्य)	वर्ष 2017-18 के पूरे वर्ष हेतु आय-व्ययक प्राविधान	वर्ष 2017-18 के लिए प्रथम पॉच माह (अप्रैल, 2017 से अगस्त, 2017 तक) हेतु लेखानुदान द्वारा आय-व्ययक प्राविधान	स्वीकृति जारी की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5
1-भवन निर्माण	68694	500	208	208
योग:-	68694	500	208	208

(रू0 दो लाख आठ हजार मात्र)

2- नियोजन विभाग के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-9/1/35-आ-2/2015-12, दिनांक 29.11.2016 द्वारा वर्ष 2016-17 के लिए स्वीकृत परिव्यय को वर्ष 2017-18 का अनन्तिम परिव्यय मानते हुए

योजनावार/जनपदवारा अनन्तिम परिव्यय के सापेक्ष अनन्तिम रूप से स्वीकृतियां निर्गत की जा रही हैं। वर्ष 2017-18 हेतु नियोजना विभाग से परिव्यय अनुमोदित होने के उपरान्त उक्त आवंटन की सीमा तक समायोजित किया जायेगा।

3- उक्त धनराशियों का आवंटन स्वयं में व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। अतः जिस व्यय के संबंध में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों अथवा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा शासन के वर्तमान आदेशानुसार शासन की अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति लिया जाना अपेक्षित है, उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यतः प्राप्त किया जाय। वस्तुओं का क्रय स्टोर परचेज वित्तीय नियमों के अधीन ही किया जाय। भवनों के निर्माण कार्य के संबंध में नवीनतम निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित नियमों के अनुसार कार्यवाही सम्पादित कराई जाय। व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-सी0ए0-1132/ दस-2004-1/2004,. दिनांक 07-01-2005 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4- विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/ वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 8 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5-. स्वीकृत धनराशि के विरूद्ध उक्त योजनाओं के अन्तर्गत जनपदवार/प्रभागवार/योजनावार भौतिक लक्ष्य तथा समय सारणी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्धारित किये जायेंगे। उनके द्वारा आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति निर्धारित समय-सारणी के अनुसार सुनिश्चित की जाय। योजनावार स्वीकृत धनराशि से किसी अन्य योजना का कार्य कदापि न कराया जाय।

6- उक्त जिला योजनाओं के अन्तर्गत आवंटित धनराशि के नियमानुसार समुचित उपयोग हेतु संबंधित मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक स्वयं उत्तरदायी होंगे एवं कराए जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता तथा नियमानुसार निश्पादन हेतु उनकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी।

7- आवंटित धनराशि को यदि किसी ऐसे मद पर जिसके लिए वितीय हस्त-पुस्तिका एवं बजट मैनुएल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो, बिना स्वीकृति प्राप्त किये व्यय कदापि न किया जाय।

8- अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय न किया जाए और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाए।

9- भवन निर्माण योजना के अन्तर्गत धनराशि का उपयोग निर्मित होने वाले भवनों के मास्टर प्लान आदि तैयार कराकर सक्षम अधिकारी से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाय। अपूर्ण भवनों का निर्माण प्राथमिकता पर कराया जाय। इस योजना के अन्तर्गत भवन निर्माण कार्य मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वित्त संसाधन(विविध) अनुभाग की पत्र संख्या-1135/दस-सं0वि0.मित0-1-99, दिनांक 10-09-1999 में निहित निर्देशों के अनुसार ही कार्यान्वित कराये जाएं।

10-. आवंटित धनराशि के सभी बिलों चाहे वे वेतन आदि से संबधित हों अथवा आकस्मिक व्यय के संबंध में, पर अनुदान संख्या-60 सहित सही एवं सम्पूर्ण मुख्य, उप मुख्य, लघु, उप लघु, विस्तृत शीर्षक एवं मानक मदों को अंकित किया जाए ताकि महालेखाकार उत्तर प्रदेश को सही आकड़े के पुस्तांकन में कठिनाई न हो।

11- कृपया आवंटित व्यक्तिगत रूप से यह भी सुनिश्चित करें कि इन आवंटन से आपसे सम्बन्धित प्रभाग से आहरित की गयी धनराशि की प्रगति तथा भौतिक उपलब्धियों का विवरण निर्धारित प्रपत्र तथा बी0एम0-13 प्रपत्र में संकलित कर प्रत्येक माह की पॉच तारीख तक मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक /वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, संबंधित जोनल मुख्य वन संरक्षक तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराय दिया जाये।

12- धनराशि के आवंटन की इस प्रक्रिया को अपनाने से विभागाध्यक्ष/वन संरक्षकों के निर्धारित उत्तरदायित्व पूर्ववत बने रहेंगें। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा आवंटित भौतिक व वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति तथा कार्यों की गुणवत्ता

सुनिश्चित करने के लिए संबंधित मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक उत्तरदायित्व होगें। अतः यह आवश्यक है कि समस्त जिला स्तरीय योजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों की प्रगति की अनुश्रवण प्रत्येक माह करते रहें तथा प्रगति से अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को अवगत कराना सुनिश्चित करें, जो प्रत्येक स्तर की संकलित सूचना शासन को उपलब्ध करायेंगें।

13- उपरोक्त के अतिरिक्त शासन के नियोजन तथा वित्त विभाग एवं इस सम्बन्ध में अन्य विभागों एवं भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/मार्ग निर्देशों को कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

14- जिला योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों में क्षेत्रवार निश्चित योजना (लोकेशन स्पेसिफिक एक्शन प्लान) की प्रतियां जिला समन्वय निस्तारण अधिकारी द्वारा जनप्रतिनिधियों, आयुक्त जिला अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। यह सूचना क्षेत्र व ग्राम स्तर पर भी अवश्य उपलब्ध करायी जाय, ताकि वन एवं वन्य जीव विभाग के कार्य कलापों की जानकारी जन साधारण में रहें व कार्यों की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता बनी रहें।

15- स्वीकृत धनराशि का व्यय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0-पी-1259/36-बी-15(जी)/बजट(2017-18) दिनांक 28.04.2017 में उल्लिखित कार्यमदो में ही किया जाय।

16- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उ0प्र0 समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थलीय कार्य अनुमोदित आंगणन एवं निर्धारित मानकों के अनुसार हो रहे हैं तथा इसकी रिपोर्ट शासन को समय-समय पर उपलब्ध करायी जायेगी।

17- व्यय को विभागीय मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करने हेतु समयबद्ध कार्यक्रम तथा अनुश्रवण समय सारणी भी प्रभागीय स्तर से लेकर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के स्तर तक सुनिश्चित कर ली जाय।

18- पंचायती राज संस्थाओं को शक्तिशाली बनाने हेतु अधिकारों, दायित्वों एवं कार्यक्रमों के विकेन्द्रीकरण हेतु उत्तर प्रदेश शासन के परती भूमि विकास अनुभाग के शासनादेश संख्या-406/14-प0भू0वि0/99-3/99, दिनॉक 19-03-1999 के द्वारा जारी निर्देशों का पालन करते हुए संबंधित योजनाओं को कार्यान्वित किया जाए।

2-. यह आदेश वित (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017 दिनांक 02 जनवरी, 2017 एवं संख्या-3/2017/बी-1-348/दस-2017-231/2017 दिनांक 20 मार्च, 2017 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन जारी किये जा रहे है।

<u>संलग्नक-यथोपरि।</u>

भवदीय

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव।

<u>संख्या-763(1)/14-4-2017-15(बजट)/2017 तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को मय संलग्नक सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (द्वितीय), लेखा एवं हकदारी, चतुर्थ तल हाल नं0 2,आडिट भवन टी0सी0 35, वी 1 विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. महालेखाकार (लेखापरीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष , उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आई0टी0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7. प्रधान मुख्य वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8. मुख्य वन संरक्षक, पूर्वी, दक्षिणी, केन्द्रीय, बुन्देलखण्ड, रूहेलखण्ड, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश तथा मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव, पश्चिमी, वन्यजीव, पूर्वी, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस

आशय से प्रेषित कि अपर प्रमुख वन संरक्षक, सामाजिक एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति तथा कार्यों की गुणवत्ता अपने स्तर से सुनिश्चित करायें।

9. समस्त वन संरक्षक/समस्त क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर प्रदेश।
10. वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त संलग्नकों में इगिंत जनपदवार प्रभागवार, आहरण एवं वितरण अधिकारीवार संशोधित धनराशि की साख-सीमा अपने स्तर से सम्बन्धित निस्तारण अधिकारियों को निर्गत करने का कष्ट करें।
11. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
12. समस्त जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
13 नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-1/2 (नियोजन विभाग).
14. वित्त (व्यय-नियंत्रण, अनुभाग-7)/वित्त आय-व्ययक (अनुभाग-1).
15. वन अनुभाग-1, 2, 3 तथा 5.
16. निदेशक, सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, उ0प्र, लखनऊ।
17. अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

संलग्नक-यथोपरि

आज्ञा से,

(हलधर प्रसाद मिश्रा)
उप सचिव।

15(बजट)

शासनादेश संख्या-763/14-4-2017-~~32~~/2017 दिनांक 18-04-2017 का संलग्नक

संलग्नक-1

योजना का नाम:-भवन निर्माण

चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रथम पांच माह (माह अप्रैल, 2017 से अगस्त,2017 तक) हेतु लेखानुदान के माध्यम से आय-व्ययक प्राविधानित धनराषि के सापेक्ष स्वीकृत धनराशि का आवटंन

(रु0 हजार में)

क्र0 सं0	जनपद/प्रभाग का नाम		परिव्यय (अनन्तिम)	स्वीकृत धनराशि		
	जनपद का नाम	प्रभाग का नाम		अनुदान संख्या-60- पूँजी लेखा के लेखाशीर्षक-4059--लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय--———-01--कार्यालय भवन-051--निर्माण-03--भवन निर्माण (सी0सी0 एल0 प्रणाली) (जिला योजना) -- 24--वृहत् निर्माण कार्य--	अनुदान संख्या-60- पूँजी लेखा के लेखाशीर्षक-4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय-———-01--सरकारी रिहायशी भवन-700--अन्य आवास-03-भवन निर्माण (सी0सी0एल0 प्रणाली) (जिला योजना)-24-वृहत् निर्माण कार्य--	योग
1	2	3	4	5	6	7
1	मथुरा	मथुरा	1200			0
	योग आगरा मण्डल		1200	0	0	0
2	हाथरस	हाथरस	5000	83		83
3	कासगंज	कासगंज	5000			0
		योग अलीगढ़ मण्डल	10000	83	0	83
4	उन्नाव	उन्नाव	3272			0
		योग लखनऊ मण्डल	3272	0	0	0
5	बदायूँ	बदायूँ	3600			0
		योग बरेली मण्डल	3600	0	0	0
6	मेरठ	मेरठ	3135			0
7	हापुड़	हापुड़	7500			0
		योग मेरठ मण्डल	10635	0	0	0
8	शामली	शामली	2545			0
		योग सहारनपुर मण्डल	2545	0	0	0
9	अमरोहा	अमरोहा	1500			0
		योग मुरादाबाद मण्डल	1500	0	0	0
10	गाजीपुर	गाजीपुर	5000			
		योग वाराणसी मण्डल	5000	0	0	0
11	संत कबीर नगर	संत कबीर नगर	1100			0
12	सिद्धार्थनगर	सिद्धार्थनगर	965			0
		योग बस्ती मण्डल	2065	0	0	0
13	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	4700			0
		योग इलाहाबाद मण्डल	4700	0	0	0
14	कन्नौज	कन्नौज	6677			0
15	औरैया	औरैया	12500			0
		योग कानपुर मण्डल	19177	0	0	0
16	अमेठी	अमेठी	1000			0
		योग फैजाबाद मण्डल	1000	0	0	0
17	बलरामपुर	सोहेलवा वन्य जीव	4000		125	125
		योग देवीपाटन मण्डल	4000	0	125	125
		कुल योग:-	68694	83	125	208

(रुपये दो लाख आठ हजार मात्र)

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव।